संख्या– 2987 /38–7–2008–10एनआरईजीए/05

प्रेषक,

रोहित नन्दन,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।
2– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7 लखनऊः दिनांकः 16 दिसम्बर, 2008

विषयः–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के प्रभावी कियान्वयन हेतु कार्मिकों की सेवाएं सेवा प्रदाता(Service Provider) के माध्यम से लिये जाने के संबंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 के अन्तर्गत शासन की अधिसूचना संख्या–2555/38–7–08–10एनआरईजीए/05 दिनांकः 23–10–08 द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारण्टी(द्वितीय संशोधन) योजना 2008 निर्गत की गयी है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के प्रभावी कियान्वयन हेतु कार्मिकों की सेवाएं सेवा प्रदाता के माध्यम से प्राप्त की जायेगी। उक्त अधिसूचना में प्राविधानित व्यवस्था के अनुकम में शासन द्वारा योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त कार्यकम अधिकारी, कम्प्यूटर आपरेटर/डाटा इन्ट्री आपरेटर, लेखा सहायक तथा तकनीकी सहायकों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए सेवा प्रदाताओं के चयन हेतु अर्हता एवं प्रकिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः–

(1) सेवा प्रदाता का चयन मण्डलीय स्तर पर किया जायेगा। मण्डल स्तर पर गठित की जाने वाली समिति का स्वरूप निम्नवत होगाः–

1. मण्डलायुक्त	**अध्यक्ष**
2. मण्डलीय मुख्यालय के जिलाधिकारी	**सदस्य**
3. सर्वाधिक श्रम बजट वाले जनपद के मुख्य विकास अधिकारी	**सदस्य**
4. संयुक्त विकास आयुक्त	**संयोजक/ सदस्य सचिव**

(2) सेवा प्रदाता के लिए कम्पनी के रूप में तीन वर्ष से पंजीकृत होना आवश्यक होगा।

(3) सेवा प्रदाता कम्पनी का टर्न ओवर कम से कम तीन करोड़ रूपये प्रतिवर्ष होना अनिवार्य होगा परन्तु यदि इस श्रेणी के सेवा प्रदाता किसी मण्डल में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो चयन समिति टर्न ओवर की सीमा को कम कर सकती है, परन्तु यह धनराशि एक करोड़ रूपये से कम नहीं होगी।

(4) सेवा प्रदाता कम्पनी के लिए आयकरदाता होना अनिवार्य होगा।

(5) सेवा प्रदाता कम्पनी के लिए सरकारी विभागों, संस्थाओं, निगमों व प्रतिष्ठित निजी प्रतिष्ठानों को मैन पावर सप्लाई करने का तीन वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य होगा।

(6) सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा कम से कम दो immediately preceding वर्षों की आडिटेड बैंलेस शीट दिया जाना अनिवार्य होगा।

(7) कम्पनी द्वारा किसी राजकीय या अन्य विभाग मे काली सूची में न होने का प्रमाण हलफनामे के रूप में दिया जायेगा।

(8) कम्पनी के लिए चयन की स्थिति में यह अनिवार्य होगा कि वह 21 दिन के अंदर कम से कम 60 प्रतिशत स्टाफ की सेवायें उपलब्ध करा दें एवं शेष 40 प्रतिशत की सेवायें अगले 15 दिनों के अंदर उपलब्ध करायें।

(9) सेवा प्रदाता द्वारा कार्मिकों की सेवाएं प्राप्त करते समय प्रत्येक पद के लिए शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) कार्मिकों के लिए दी जाने वाली धनराशि में से सेवा प्रदाता द्वारा कोई कटौती नहीं की जायेगी। यदि ऐसा किया जाता है तो सेवा प्रदाता की सेवाएं समाप्त कर दी जायेंगी तथा ग्राम्य विकास विभाग में सेवा प्रदाता को ब्लैक–लिस्ट कर दिया जायेगा। सर्विस चार्जेज आदि का भुगतान विभाग द्वारा सीधे कम्पनी को अलग से किया जायेगा।

[illegible]
निर्धारित की जायेगी।

(12) अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी व अन्य कार्मिकों की सेवा के लिए अलग–अलग सेवा प्रदाताओं का चयन किया जा सकता है।

(13) सेवा प्रदाता के लिए आवश्यक होगा कि वह मण्डलीय मुख्यालय में कार्यालय स्थापित करे ताकि दिन प्रतिदिन का समन्वय व सम्पर्क रखा जा सके। यदि आवेदन देने के समय तक सेवा प्रदाता का कार्यालय मण्डल में न भी स्थित हो तो उसके लिए आवश्यक होगा कि निविदा स्वीकार किये जाने के एक माह के अंदर वह एक कार्यालय स्थापित कर लें। ऐसा न करने पर उसके अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है।

(14) चयन समिति द्वारा प्रमुख हिन्दी भाषी राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय समाचार पत्रों तथा उर्दू के अखबारों में सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। इसके लिए 14 दिन का समय एक्सप्रेशन आफ इन्टरेस्ट के लिये निर्धारित होगा तथा इच्छुक कम्पनियों के साथ 15वें दिन प्री विड कांफ्रेस चयन समिति के सदस्यों द्वारा की जायेगी, जिसमें इच्छुक कम्पनियों को पूरी प्रकिया व राज्य सरकार की अपेक्षाओं की विस्तृत जानकारी दी जायेगी। इसी कांफ्रेंस में सेवा प्रदाता कम्पनियों द्वारा उठाये गये बिन्दुओं का भी निराकरण किया जायेगा।

(15) प्री बिड कांफ्रेस के बाद इच्छुक कम्पनियो को 07 दिन का समय अपनी निविदा डालने के लिए दिया जायेगा। यह निविदा सर्विस चार्ज के एमाउन्ट के आधार पर होगी व सबसे कम सर्विस चार्ज मांगने वाले सेवा प्रदाता का चयन किया जायेगा यह निर्णय लेते समय यह अवश्य ध्यान रखा जायेगा कि विड की निविदा इतनी कम न हो कि वह अव्यवहारिक हो और जिससे कम्पनी द्वारा कार्मिकों के भावी शोषण का संकेत मिलें।

(16) निविदायें दो भागों में जमा की जायेंगी। एक लिफाफा तकनीकी अर्हता के बारे में होगा तथा दूसरा वित्तीय निविदा होगी। निविदा आमंत्रित करने के अंतिम दिन प्रथमतः तकनीकी अर्हता का लिफाफा खोला जायेगा एवं ऐसी कम्पनियां

जो समस्त शर्तों को पूरा करती हो केवल उनके वित्तीय विड द्वितीय चरण में खोले जायेंगे व तुलनात्मक चार्ट बनाया जायेगा।

(17) तत्पश्चात अगले दिन तक चयन समिति वित्तीय निविदा के संबंध में निर्णय लेगी। अव्यवहारिकता की स्थिति को छोड़ते हुए सामान्य तौर पर न्यूनतम विड को ही स्वीकार किया जायेगा।

2— कृपया उपरोक्त प्राविधानों/शर्तों के अधीन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत सेवा प्रदाता के चयन के संबंध में कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रोहित नन्दन)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 2987 (1)/38–7–08 तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

(3) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(4) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आर0 पी0 सिंह),
अनुसचिव।